तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2981/2005/दौसा हीरालाल बनाम सुबुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्तागण, अपीलार्थीगण
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3

निर्णय

दिनांक 08.01.2019

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण के पक्ष में तन फर्राशपुरा तहसील सिकराय स्थिति आराजी खसरा नम्बर 254/2 व आराजी खसरा नम्बर 260/2 रकबा 04बीघा 03बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 07–06–1999 को किया। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 01–11–2004 से स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 07–06–1999 को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प बांदीकुई के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–06–2005 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–11–2004

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2981/2005/दौसा हीरालाल बनाम सुबुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निरस्त कर दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग की भूमि थी, इसलिए किसीभी स्थिति में विवादित आराजी का आवंटन प्रत्यर्थीगण को नहीं हो सकता था। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वाराआवंटन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 व राजेश पिता घीस के नाम से भरा गया किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र पर केवल मात्र सुबुद्धि के ही हस्ताक्षर है, बकाया आवंटियों के हस्ताक्षर नहीं थे तथा प्रत्यर्थी संख्या–4 राजेश के पिता का नाम घासी दर्ज किया गया है जबकि राजेश नाबालिग उम्र 2 वर्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 सुबुद्धि का पुत्र है। उनका कथन है कि आवंटन कमेटी ने नाबालिग के नाम पर तथा प्रार्थनापत्र पर बिना हस्ताक्षर हुए आवंटन कर दिया, जिसको अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विधि विरूद्ध होना मानकर आवंटन आदेश को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि पर्चा मौका दिनांक 25–7–2004 के अनुसार विवादित आराजी पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा नहीं है, इसलिए उक्त आवंटन नियम 14(1)(2) के तहत खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2981/2005/दौसा हीरालाल बनाम सुबुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 1994 आरआरडी पेज 666, 2002 डीएनजे (3) राज. पेज 1385, 1986 आरआरडी पेज 402, 2004 आरआरडी पेज 214, 1990 आरआरडी पेज 465, 2000 आरआरडी पेज 77, 2002 आरआरडी पेज01, 2003 आरआरटी I पेज 35, 2004 आरआरटी I पेज 477 एवं 2004 आरआरटी II पेज 1072 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन उनके पक्षकार को आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार ग्रामीण परिवेश के है तथा आवंटन हेतु आवेदनपत्र किसी अन्य व्यक्ति से भरवाया था। आवेदनपत्र में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम भरवाया था परन्तु बाद में किसी ने राजेश का नाम अंकित कर दिया। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनके पक्षकार को आवंटन उपरान्त विवादित आराजी का कब्जा सम्भलाया गया, वर्तमान में उनके पक्षकार काबिज काश्त है। उनका कथन है कि विवादित आराजी वन विभाग की भूमि नहीं होकर जमाबन्दी सम्वत् 2056-59 में अंकित अनुसार गैर मुमकिन बीहड दर्ज है, जिसका आवंटन नियमानुसार किया गया है। उनका कथन है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2981/2005/दौसा हीरालाल बनाम सुबुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि आवंटन के पश्चात् विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से आवंटन आदेश को निरस्त करने में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 3 एवं राजेश पुत्र सुबुद्धि के पक्ष में तन फर्राशपुरा तहसील सिकराय स्थिति आराजी खसरा नम्बर 254/2 व आराजी खसरा नम्बर 260/2 रकबा 04बीघा 03बिस्वा भूमि का आवंटन भू– आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 07–06–1999 को किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र सुबुद्धि, हरकेश, बन्ना, राजेश पिसरान घासी की ओर से प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदनपत्र पर केवल मात्र सुबुद्धि के हस्ताक्षर है, अन्य आवेदनपत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं होने से आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र अपूर्ण माना जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि आवेदनपत्र में राजेश पिसरान घासी अंकित किया, जबकि राजेश के पिता का नाम सुबुद्धि है तथा वह वक्त आवंटन नाबालिग था, जिसकी पुष्टि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला से जारी टीसी क्रमांक 1 दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2981/2005/दौसा हीरालाल बनाम सुबुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6–5–2004 से होती है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित आराजी का स्थाई आवंटन संयुक्त रूप से सुबुद्धि, हरकेश, बन्ना, राजेश पि0 घासी गुर्जर को किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपूर्ण आवेदनपत्र पर संयुक्त नाम से विवादित आराजी का किया गया आवंटन, जिसमें नाबालिग भी शामिल है, प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अवैध होने से निरस्त योग्य है। इसके साथ ही विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 के कालम संख्या–4 में आराजी खसरा नम्बर 254रकबा 35बीघा 12बिस्वा व खसरा नम्बर 260 रकबा 15बीघा 13बिस्वा राजकीय वन भूमि अंकित है। इससे भी स्पष्ट होता है कि आवंटन के समय विवादित आराजी वन विभाग के नाम दर्ज थी। वन विभाग के नाम दर्ज भूमि आवंटन नियम 4(3) के तहत आवंटन योग्य नहीं थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 195 की धारा 16 के नियम 10 के तहत वन विभाग की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते। प्रस्तुत प्रकरण में जब आवंटन ही विधि विरूद्ध हो तो आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी आवंटन को खारिज किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) को स्वीकार कर आवंटन आदेश को खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2981/2005/दौसा हीरालाल बनाम सुबुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय से विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय को निरस्त करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–06–2005 निरस्त किया जाता है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–11–2004 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	